प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्कीस' [20/2/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 353]

परिशिष्ट का प्रपत्र

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 353 के प्रश्नांश 'क' की जानकारी

बैठक दिनांक 20.02.2019 सदस्य श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जबलपुर द्वारा कटनी जिला अंतर्गत पैक्स बड़गांव एवं रैपुरा में की गई कार्यवाही

पैक्स बड़गाव –

1. दोषी कर्मचारी श्री अरविंद पाठक समिति प्रबंधक/शाखा प्रबंधक को बैंक आदेश दिनांक 14.11.2017 से राशि रू. 11,74,405.80 के एक तिहाई राशि जमा करने के दण्ड से दण्डित किया गया था। प्रकरण में एग्रीकल्चर इश्योंरेंश कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से समिति बड़गांव के 77 कृषकों के क्षतिपूर्ति राशि रू. 3,66,620.62 प्राप्त हुई है, जिसे कम किया जाकर शेष राशि रू. 8,07,785.18 के एक तिहाई भाग की राशि रू. 2,69,261.72 की कटौती किये जाने हेतु बैंक के आदेश से मय ब्याज सहित प्रतिमाह राशि रू. 10 हजार वेतन से कटौती की जा रही है। माह जनवरी 2019 तक राशि रू. 1,10,000.00 की कटौती की जा चुकी है।
2. श्री राधेश्याम तिवारी सेवानिवृत्त पर्यवेक्षक एवं तत्कालीन समिति प्रबंधक को बैंक के आदेश दिनांक 14.11.2017 के द्वारा राशि रू. 11,74,405.80 के दो तिहाई राशि जमा करने के दण्ड से दण्डित किया गया था। प्रकरण में एग्रीकल्चर इश्योंरेंश कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से समिति बड़गांव के 77 कृषकों के क्षतिपूर्ति राशि रू. 3,66,620.62 प्राप्त हुई है, जिसे कम किया जाकर शेष राशि रू. 8,07,785.18 के दो तिहाई भाग राशि रू. 5,38,523.45 एवं ब्याज राशि रू. 9,472.00 की वसूली हेतु सेवानिवृत्त देयताओं से राशि रू. 1,91,792/– वसूल कर शेष राशि रू. 3,56,203.45 की वसूली हेतु सहकारी अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत प्रकरण न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारिता, जबलपुर में दर्ज किया गया है।

पैक्स रैपुरा –

फसल बीमा क्लेम की राशि रू. 8,05,608.83 के संबंध में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जबलपुर द्वारा गठित कमेटी से जांच कराई गई, जिससे प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 11.01.2018 के अनुसार 04 कर्मचारी, (1) श्री के. के. मिश्रा, पूर्व प्रभारी सहायक प्रबंधक, सेवानिवृत्त (2) श्री हुब्बीलाल पटेल, पूर्व सहायक प्रबंधक, सेवानिवृत्त (3) श्री गणेश प्रसाद सौधिया, लेखापाल (4) श्री राजेन्द्र तिवारी, समिति प्रबंधक, दोषी पाये गये है, जिनके विरूद्ध प्रत्येक से एक चौथाई राशि रू. 2,01,402.21 वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये परन्तु वसूली नहीं होने से सहकारी अधिनियम की धारा 64 में प्रकरण दायर किये गये हैं।

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त सहकारिता
वास्ते आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ, (म.प्र.)